

162 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा



मास्को, 2 जून. रूसी वायु रक्षा चेतानवी प्रणालियों ने रविवार रात 162 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है, जिनमें से सबसे अधिक कुर्स्क क्षेत्र के ऊपर थे. रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

मंत्रालय ने कहा, एक जून को माँस्को को रात 8 बजकर 10 मिनट से 2 जून को अपराह्न दो बजे तक की अवधि में वायु रक्षा चेतावनी प्रणालियों ने 162 रियाज़ान क्षेत्रों में 11-11 ड्रोन को मार गिराया गया. इसके अलावा ओर्यॉल क्षेत्र में 6 ड्रोन, क्रीमिया के क्षेत्र में दो और तांबोव क्षेत्र में एक ड्रोन को मार गिराया है.

यूक्रेनी फिक्स्ड-विंग मानव रहित
ड्रोनों को रोका और उन्हें नष्ट
कर दिया.

उल्लेखनीय है कि कुर्क क्षेत्र में 57 ड़ोन, बेलगोरोड क्षेत्र में 31 और लिपेत्स्क क्षेत्र में 27, वोरोनिश क्षेत्र में 16, ब्रांस्क और रियाज़ान क्षेत्रों में 11-11 ड़ोन को मार गिराया गया. इसके अलावा ओर्योल क्षेत्र में 6 ड़ोन, क्रीमिया के क्षेत्र में दो और तांबोव क्षेत्र में एक ड़ोन को मार गिराया है.

नीट - पीजी 2025 की परीक्षा स्थगित

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट-पीजी 2025 को स्थगित कर दिया गया है और संशोधित तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी .



यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया
एक सरकारी संयुक्त बैंक | A Government of India Undertaking



Union Bank
of India

अस्ति वसुली शाखा (ए.आर.बी.)
यूजी 18-19-20, अपर तल मंजिल, मंगल सिटी, विजय नगर, इंदौर 452010

आधिपत्य सूचना (नियम 8(1)) (अचल संपत्ति हेतु)

अनुलग्नक-क

जबकि, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अस्ति वसुली शाखा, यूजी- 18-19-20, मंगल सिटी विजय नगर, इन्दौर के निम्न हस्तक्षारकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम - 2002 (2000 का सं. 54) की धारा 13(12) संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ऋणी/यों (र)** नेसरस कृष्णा **इद कंधनी (क)** श्रीमो. श्रीमती अमिता माटा पति स्व. **श्री अशोक माटा पता 405 (पुराना नंबर 322) बजाहर मार्ग, इंदौर (बी)** श्रीमती अमिता पति स्व. **श्री अशोक माटा पता 11/बी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जावेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर 452002** 2. **जमानतदारों/रों (र)** **श्री सोमिल माटा पिता स्व. श्री अशोक माटा (जमानतदार) पता 11/बी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जावेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर 452002 के अन्दर एक सूचना 30.01.2025 को मांग सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर सूचना में दी गई ऋण राशि **रु.66,18,310.23 (रुपये छियास लाख अठारह हजार तीन को तीस पैसे मात्र)** साथ ही मुगुनात एवं/या वसुली की तारीख तक प्रमाणित न किया गया ब्याज, आकस्मिक व्यय, अन्य लागतें, प्रभार आदि का मुगुनात करने हेतु नोटिस दिया था।**

चूंकि ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने संपूर्ण अदायगी में वृत्ति की है अतः ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषतः एवं आम जनता को साधारणतः एतद् द्वारा सूचना जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13(4) संपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक **28 मई 2025** को प्राप्त किया है।

ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतत किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई संयंवहार न करे तथा यदि कोई संयंवहार किया गया हो तो वह बकाया राशि **रु.66,18,310.23 (रुपये छियास लाख अठारह हजार तीन को तीस पैसे मात्र)** उस पर ब्याज व खर्च के लिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अधीन होगा।

ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

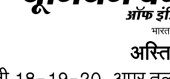
अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नंबर 136, पैलेस कॉलोनी, वार्ड नंबर 66, रामजहल कॉलोनी पुराना, माणिक बाग रोड, इंदौर में स्थित भूमि एवं भवन के समस्त भाग एवं अंश **चतुर्सीमा निम्न प्रकार है** - पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 126, उत्तर में: प्लॉट नंबर 137, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 135

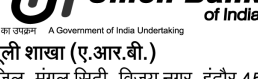
प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट

संपत्ति के मालिक एवं बंधककर्ता: श्री सोमिल माटा

दिनांक : 28.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इंदौर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया



यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया
एक सरकारी संयुक्त बैंक | A Government of India Undertaking



Union Bank
of India

अस्ति वसुली शाखा (ए.आर.बी.)
यूजी 18-19-20, अपर तल मंजिल, मंगल सिटी, विजय नगर, इंदौर 452010

आधिपत्य सूचना (नियम 8(1)) (अचल संपत्ति हेतु)

अनुलग्नक-क

जबकि, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया अस्ति वसुली शाखा, यूजी- 18-19-20, मंगल सिटी विजय नगर, इन्दौर के निम्न हस्तक्षारकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम - 2002 (2000 का सं. 54) की धारा 13(12) संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ऋणी/यों (र)** **श्री सोमिल माटा पिता स्व. श्री अशोक माटा (ऋणी), (बी) सुश्री परिमा माटा पिता स्व. श्री अशोक माटा (सह-आवेदक), (बी) श्रीमती अमिता माटा पति स्व. श्री अशोक माटा (सह-आवेदक), (डी) श्रीमती हरचित्र खनुजा माटा पति श्री सोमिल माटा (सह-आवेदक), (ई) श्री श्री अशोक माटा (सह-आवेदक) के सभी कानूनी उत्तराधिकारिका सभी पता: 11/बी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जावेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर 452002**

2. सह-दायित्वकर्ता एवं/या (र) **श्री ज्ञानदेव कटारिया पिता दोलारमन कटारिया पता 127, काटजू कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, कलेक्ट्रेट, इंदौर 452007 3. जमानतदारों/रों (र) स्वर्गीय श्री अशोक माटा (जमानतदार) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी पता: 11/बी अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, जावेरी कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर 452002 को दिनांक 30.01.2025 को मांग सूचना जारी कर सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर सूचना में दी गई ऋण राशि **रु.19,60,496.01 (रुपये उन्नीस लाख सत्त हजार चार सौ पचास एवं एक पैसे मात्र)** साथ ही मुगुनात एवं/या वसुली की तारीख तक प्रमाणित न किया गया ब्याज, आकस्मिक व्यय, अन्य लागतें, प्रभार आदि का मुगुनात करने हेतु नोटिस दिया था।**

चूंकि ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं ने संपूर्ण अदायगी में वृत्ति की है अतः ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषतः एवं आम जनता को साधारणतः एतद् द्वारा सूचना जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13(4) संपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक **28 मई 2025** को प्राप्त किया है।

ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतत किया जाता है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई संयंवहार न करे तथा यदि कोई संयंवहार किया गया हो तो वह बकाया राशि **रु.19,60,496.01 (रुपये उन्नीस लाख सत्त हजार चार सौ पचास एवं एक पैसे मात्र)** उस पर ब्याज व खर्च के लिए यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के अधीन होगा।

ऋणीयों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नंबर 5 (पुराना मकान नंबर 6) का उत्तरी भाग, जुना तोपखाना, गली नंबर (पुराना), गली नंबर 6 (नया), महात्मा गांधी मार्ग, गली नंबर 6, इंदौर स्थित वाणिज्यिक सह आवासीय भवन के समस्त भाग एवं अंश **चतुर्सीमा निम्न प्रकार है** - पूर्व में: 5 की सहकारी गली एवं कमल कुमार चौररीया का मकान, पश्चिम में: 6 की सहकारी गली एवं एच एल सुलेमानी का मकान, उत्तर में: सड़क एवं उसके बाद भागीरथी बाई गिरि व मकान, दक्षिण में: इस्वी प्लॉट का पुराना भागान कटारिया के स्वामित्व में

कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1608 वर्गफीट (149.44 वर्गमीटर)

कुल निर्मित क्षेत्रफल 1241 वर्गफीट

सम्पत्ति मालिक: स्वर्गीय श्री अशोक माटा

दिनांक : 28.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इंदौर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

► पुतिन के धोखे से आगबबूला जेलेंस्की, बोले- अब मजबूरी

जेलेंस्की ने नाटों के नेताओं से कहा कि यूक्रेन शांति बहाल करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है। अगर इस्तांबुल की बैठक का कोई भी नेता नहीं निकला तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएं। तुर्किंग में 15 मई को दोनों देशों के बीच सीज़फायर को लेकर युद्ध में पुतिन नहीं पहुंचे। रूस ने अपना प्रतिनिधिमंडल या भेज था, इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीज़फायर के लिए रूस की भागीदारी को दिखाएँ बतवाया था। तुर्किंग में बैठक में नहीं पहुंचे पुतिन तो भड़के जेलेंस्की: पुतिन इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन बाद में उन्होंने के यतिन के सहयोगी ल्वादिमीर मेडिंस्की को यहां भेजा। रूस के इस कदम से जेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह से ये सब किशाय गया वह गंभीर प्रयास नहीं लगा रहा है, बल्कि अप्रतिपाद्यता जैसा लगा रहा है, उन्होंने साफ कहा कि ये दावा की मंजूर पर तभी बैठेंगे जब सामने खुद पुतिन मौजूद होंगे।

रूस के 40 बॉम्बर्स प्लेन को किया तबाह:

इसी को लेकर गुस्ताए जेलेंस्की ने ऐसा कदम उठाया, जिससे रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रविवार (01 जून 2025) को रूस के हवाई ठिकानों को निशाना बनाते हुए उसके जमीन पर मौजूद 40 बॉम्बर प्लेन को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने ये हमला सीजफायर को लेकर होने वाली बैठक से टीक एक दिन पहले किया। यूरोप के विश्वोत्थानियों में नाटो देशों का बैठक हुआ। इसमें बैठक में जेलेंस्की ने नाटो के नेताओं से कहा कि यूक्रेन शांति बहाल करने के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार है।

सिक्किम में भूस्खलन की त्रासदी : आर्मी कैंप तबाह

तीन जवान शहीद, छह लापता-लाचुंग से 1000 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया गया नई दिल्ली, 2 जून. सिक्किम के मंगन जिले के छातेन इलाके में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन ने एक बड़ा हादसा ला दिया है .

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर, म.प्र.
(कोर्ट रूम नं. 105 प्रशासनिक संकुल,
जिला कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर)
क्रमांक 366/प्रवाचक/2025 इन्दौर, दिनांक 30/05/2025

[illegible]



शुभम्

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनॅस कम्पनी लिमिटेड

कापिरिट कार्यालय - 425, उद्योग विहार फेस - IV, गुडगांव - 122015 (हरियाणा)
फोन - 0124 - 4212530/31/32, ईमेल - customercare@shubham.com, वेबसाइट - www.shubham.com

आधिपत्य सूचना (अन्तर्ल संपत्तियों के लिए)

जहां कहीं शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनॅस कम्पनी लिमिटेड (यहां आगे शुभम कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर अधोहस्ताक्षरित ने सिस्पायर्लडिजाइनेशन एंड इंफ्रस्ट्रक्चर ऑफ फायनॅसियल एप्रेटरेस एंड इंफोर्मेशन ऑफ सिक्युरिटी डेवेलपमेंट एक्ट, 2002 एवं साधारण सचिवता सिक्युरिटी इंस्ट्रुट (फिनांशियल) नियम 2002 के नियम 3 के साथ संपत्ति धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित ऋणकर्ताओं को ऋण राशि को उपरोक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस के अंदर पूर्णभुतिगत हेतु नोटिस जारी किया था। ऋणकर्ता राशि का पुर्णभुतिगत करने में असफल रहे हैं ऋणकर्ताओं को एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से इस एतद सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त कानून के नियम 8 के साथ उपरोक्त कानून की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्णित साधक का अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप में चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ना करें एवं इन संपत्तियों के साथ व्यवहार शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनॅस कम्पनी लिमिटेड के साथ नीचे दर्शाई राशि एवं उस पर व्याज के विधायनानुसार होना।

ऋणकर्ता के ध्यानार्थ, धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समयसीमा में सुरक्षित संपत्ति वापस प्राप्त करने हेतु अनाव्रित किया जाता है। विवरण नीचे दिया गया है:—

स. क्र.	ऋण खाता क्र., ऋणकर्ता (ओं) का नाम	मां सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित संपत्ति	चर्या की दिनांक
1	लोन नं. UJN_1307_009688 कृष्णा दास बेरारी, निर्मला बेरारी	22-03-2025 र 5,42,140/-	मकान नं.48 गणेश नगर आगर रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456001 क्षेत्रफल: 1000.61 वर्गफीट, चतुर्सीमा: पूर्व- रामजी लाल का मकान, पश्चिम- गन्धर्वा समेत का मकान, उत्तर- फतेह सिंह ठाकुर का मकान, दक्षिण - रोड	30-05-2025
2	लोन नं. IDR_1307_009637 राकेश सिंह बिसेन, हेमलता सिन्धुलकर	22-03-2025 र ३,18,434/-	प्लॉट नं. 2722000 पुराना नं. 224, मिंडीखाया शिवजी नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 455201 क्षेत्रफल: 300 वर्गफीट, चतुर्सीमा: पूर्व - श्री बाबू खान का मकान, पश्चिम - शैव बाग, उत्तर - शैव बाग, दक्षिण - सड़क	30-05-2025
3	लोन नं. ODEWF1610000005002628, अमजल, जमीना, अमजद पटेल	22-03-2025 र 1,48,227/-	पटवारी हल्ला नं. 66 सर्वे नं. 44 वर्ड नं. 19 शैव नगर नं. 55 ग्राम बापय्या नायको ग्राम पंचायत बलोदा हवेली एवं लिला देवाय, मध्य प्रदेश - 455001 क्षेत्रफल: 2120 वर्गफीट, चतुर्सीमा: पूर्व- अमरस पटेल की कृषि भूमि, पश्चिम- सक्कराजी गली, उत्तर- खुदत हाजी की कृषि भूमि, दक्षिण - शरीफ पटेल का मकान।	30-05-2025

स्थान: गुडगांव

दिनांक: 02-06-2025

प्राधिकृत अधिकारी

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनॅस कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय नगर परिषद लोहारदा जिला देवास (म.प्र.)
 Email Id – cmoloharda@mpurbhan.gov.in लोहारदा, दिनांक 02/06/2025
 क्रमांक/1298/राजस्व/2025 // कर असोपण की सूचना का प्रकाशन//

एतद् द्वारा परिषद लोहारदा जिला देवास म.प्र. के निवासियों को सूचित किया जाता है, कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं प्रभाषाली म.प्र. नगर पालिका (भवन) एवं भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य के अवधारण) नियम 1997 के अन्तर्गत नगर परिषद सीमा में संपत्तिकर के निर्धारण संग्रहण करने के यथासक समान अवस्थिति निर्माण की गुणवत्ता एवं उपयोग के अनुसार संपत्तियों का वार्षिक भाडा मूल्यमान हेतु प्रति वार्षिक हेतु प्रग किये जाते हेतु संकल्प अधिकृत किया जाता है। साथ ही संपत्ति के साथ लगने वाले कर व अन्य कर जैसे सैनिकतकर, नगरीय विकास उपकर, शिक्षा उपकर, कचरा संग्रहण शुल्क, जल उपभोगा प्रभार का निर्धारण भी किया गया जो की निकाय के संकल्प क्रमांक 13 दिनांक 26.05.2025 द्वारा परिषद पालिका गया है। उक्त अधिसूचना प्रारंभ कर एवं शुल्क नगर सीमा क्षेत्र में स्थित भूमि एवं भवनों पर वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल 2025) से प्रभाषाली होंगे साथ ही म.प्र. नगर पालिका (भवन) एवं भूमियों के वार्षिक भाडा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 का नियम 4 एवं 5 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक परिक्षेत्र (झोन) में स्थित भवनों व भूमियों का वर्गीकरण जिसे मध्य प्रदेश नगरपालिका (भवन/भूमि के वार्षिक भाडा मूल्य (ALV) का निर्धारण) नियम, 1997 निरस्त कर दिए गए हैं तथा उनके स्थान पर नय नियम मध्य प्रदेशपालिका (भवन/भूमि के कर योग्य संपत्तिमूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 अधिमूचित किए गए हैं। परिषद क्षेत्र की वर्ष विषये में जिले के लिए निर्धारित कलेक्टर गाईडलाइन में निर्धारित क्षेत्रों के अनुसूचपवर्गी कृत किया है। परन्तु, किसी क्षेत्र के वर्गी करण में अस्पष्टता होने पर कलेक्टर के मतानुसार वार्षिक भाडा मूल्य होगा। जिसका सखिस विवरण इस प्रकार से है:-

झोन क्रमांक:- (1) मुख्य सड़क एवं मुख्य बाजार:- नगर पंचायत कार्यालय भवन से राधेश्याम मालू नोंगजा जी के भवन से मिश्रीलाल के भवन तक। पहलपुर के भवन जैत धर्मशाला, झंडाचौक विष्णु राठी के भवन से श्री गोपाल भुतड़ा के भवन तक। रागनिवासे के भवन से छोटी बाजार के समस्त भवन को सम्मिलित करते हुये। भागीरथ कुम्हार के भवन तक जगदीश माली के भवन से छानलाल जैन हजारी सत्तावन के भवन तक। गिरिधारी मान्धव्या के भवन से साराड़ मुन्ना राठोर, कैलाश कासलीवाल के भवन से ओमप्रकाश मालू के भवन तक।

ज्ञान क्रमांक:- (2) सोरा वाली गली, गोपाल साधु वाली गली, परमानंद श्रौत्रिय गली के पास समस्त भवन से नाथूलाल पटेल के भवन से श्रौत्रिय परिवार से रामकिशन पटेल के भवन तक ।

वार्ड क्रमांक 06 में मोहन श्रोत्रिय के भवन से वार्ड क्रमांक समस्त भवन, रामसिंग सिकलीगर के भवन से रामदेव लखेरा के भवन तक।

झोन क्रमांक:- (3) वार्ड क्रमांक 05 एवं 08 के समस्त भवन आदिवासी मोहल्ला, मस्जिद गली, मेहतर मोहल्ला, हरजन मोहल्ला, रमेश जिनिंग फेक्ट्रि तक एवं छगनलाल राठौर के भवन से कांजीहाउस जमाल टेनर, अस्पताल एवं पी.डब्ल्यू.डी. रोड के समस्त भवन और ग्राम दानी का क्रमांक 09 एवं 11 वार्ड क्रमांक 12, 13, 14, 15 लालखेड़ी के समस्त भवन व भूमि सम्पत्तिकर के वार्षिक स्वनिर्धारण हेतु अवधारित दरों का हवाईकरण।

श्रीोन क्र.	R.C.C./R.B.C.		लोहो की चद्रसीमीमें/शी/टार्ल्स लगे पक्के भवन की दर प्रति वर्गफीट वार्षिक में		क्रमांक 1 एवं 2 के अतिरिक्त कच्चे भवन की दर प्रति वर्गफीट वार्षिक		खुलो भूमि/भू-खण्ड की दर प्रति वर्गफीट में	
	भवन		भवन		भवन		भू-खण्ड	
	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी	आवासीय	व्यवसायी
	श्रीोन क्र 01	10 रू	12 रू	08 रू	10 रू	06 रू	08 रू	05 रू
श्रीोन क्र 02	08 रू	10 रू	06 रू	08 रू	05 रू	06 रू	04 रू	05 रू
श्रीोन क्र 03	06 रू	07 रू	05 रू	06 रू	03 रू	04 रू	02 रू	03 रू

नोट:- 1. नियम-6 के अनुसार भवन/भूमियां पर उनके वार्षिक भाड़ा मूल्य के अनुसार 7 प्रतिशत को वार्षिक समतल कर दर आगिक कर को एकजारी दर सेमित कर 120 रु. (असरी रु. एक सौ बीस रु.) तक पर सामान्य स्वच्छता उद्देश को दर से प्रतिवर्ष संपत्ति कर के साथ में देय होगा। 2. समुपन नगरीय क्षेत्र में स्थित प्रत्येक भवन/भू-खण्ड पर सामान्य स्वच्छता उद्देश को दर से प्रतिवर्ष संपत्ति कर के साथ में देय होगा। 3. नगरीय विकास उपकरण एवं शिक्षा उपकरण - स्वयं उपकरण हेतु शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य को 1 प्रतिशत एवं अन्य व्यक्त द्वारा अथवा कार्यालय उपयोग में हो तो शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगा जो कि नगरीय विकास उपकरण एवं शिक्षा उपकरण के नाम से जाना जावेगा। 4. भवन या भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य मध्यस्थद्वारा नगर पालिका (बनाने एवं भवित्ता) के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम 2020 के नियम 5 के अनुसार किया जायेगा। 5. यदि कोविड बन्धन नगर पालिका क्षेत्र में एक से अधिक भवन या भूमि का खामोश है तब एक सा प्रत्येक खामोश अपने प्रत्येक भवन या भूमि के लिए पृथक-पृथक कर दर से देय होगा।

विवरणी सहित कर की राशि का भुगतान करेगा धारा 127 के परंतुक अनुसार शूल्क के प्रयोग के लिये उसके समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के संकलित भाषिका भाड़ा मूल्य को ही आधार माना जायेगा। 6. यदि कोई करदाता अथवा संयोजक विमतीय एवं समाप्ति के पूर्व दिनांक 31 मार्च तक जमा नहीं करेगा तो ले तत्पश्चात 10 प्रतिशत अधिभार देवे होगा। 7. जलकर – जलकर मासिक दर घरेलू 100 रु. प्रतिमाह एवं व्यावसायिक 200 रु. प्रतिमाह देवे होगा एवं माह के समाप्त होने के पश्चात् अगले माह की 15 तारीख तक जलकर राशि जमा नहीं लीये जाने पर 25 प्रतिशत अधिभार सहित जमा करना होगा। 18. नाल कनेक्शन का विच्छेदन लीये जाने पर संयोजन शुल्क एवं संयोजन शुल्क 500 रु. लिया जावेगा साथ ही धरोलू नल कनेक्शन हेतु धरोहर राशि 1200 रु. एवं – टू – डोर कचरा संग्रहण शुल्क – डोट – टू – डोर कचरा संग्रहण शुल्क को दरें इस प्रकार रहेगी –

1. संपत्ति कर से शूट प्राप्त करदाताओं से 120 रु. का दर। 2. संपत्ति कर के दरों में आने वाले आवासीय उपयोग वाले भवनों के करदाताओं से 240 रु. प्रतिवर्ष। 3. संपत्ति कर के दरों में व्यावसायिक उपयोग वाले भवनों के करदाताओं से 360 रु. वार्षिक लिया जायेगा। 9. स्वत्वाधिकार (हक) के अंतरण की सूचना – किसी भूमि या भवन या उसके किसी भाग का स्वत्व अंतरित लीये जाने पर अंतरण लेख की सूचना तीन माह के भीतर लिखित में प्रस्तुत नहीं किया जाने को दश में विद्यमान शुल्क 500 प्रतिवर्ष की दर दे देवे होगा। उक्त प्रस्तावित कर के संबंध में करने वाला नगर परिषद् का कोई निशान, इस सूचना के समाचार में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् लोहारदा जिला देवास

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतसाव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/11, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, डेस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) संपटित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निमागबोली, 2002 के नियम 8(6) संपटित नियम 9(1) के प्राधान्य के साथ पठित
वितीय आरतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल
परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक 20-06-2025 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और घरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 20-06-2025 को दोपहर 2:00 बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहुरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमपी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 19-06-2025 को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड, 9/11, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	क्राण खाता क्रं.	अर्जी(बी)/ सह-अर्जी(बी)/ कर्तुनी निमाग(बी) / उपनमाग(बी) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना विवरण	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 24-05-2025 तक बकाया
1	TCHHF0284000 100068767 & 9897170 & TCHHF0284000 100084488 & TCHHF0284000 100085653 & TCHHL0284000 100084902	श्री प्रेम रतन बोथरा श्रीमती प्रीति बोथरा	रु. 17,92,542/- (रुपये सत्रह लाख बयानों हज़ार पांच सौ बयालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000 100068767 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 60,29,841/- (रुपये साठ लाख उनतीस हज़ार आठ सौ इकतालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9897170 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 50,04,290/- (रुपये पचास लाख चार हज़ार दो सौ नब्बे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100084488 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 45,69,589/- (रुपये पैंतालीस लाख उनसतर हज़ार पांच सौ उन्बे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000 100085653 रु. 46,75,193/- (रुपये छियालीस लाख पचहतर हज़ार एक सौ तिराने मात्र) के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000 100084902 रु. 2,20,71,455/- (रुपये दो करोड़ बीस लाख इकहतर हज़ार चार सौ पचपन रुपये मात्र)	Rs. 1,90,00,000/- (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख)	Rs. 19,00,000/- (रुपये उन्तीस लाख रुपये)	भौतिक	रु. 23,01,627/- (रुपये तेईस लाख एक हज़ार छः सौ सत्ताईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100068767 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 79,45,407/- (रुपये उनहतर लाख पैंतालीस हज़ार चार सौ सात मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9897170 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 66,62,751/- (रुपये छियासठ लाख बासठ हज़ार सात सौ इकस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100084488 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 59,38,142/- (रुपये उनसठ लाख अड़सी हज़ार एक सौ बयालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100085653 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं रु. 61,29,380/- (रुपये इकसठ लाख उनतीस हज़ार तीन सौ अस्सी मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100084902 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल राशि रु. 2,89,77,317/- (रुपये दो करोड़ उन्बे लाख सत्तर हज़ार तीन सौ सत्रह मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: म्युनिसिपल मकान नंबर 22, (पूर्वी भाग) ब्लॉक नंबर 13-बी मनोरमागंज, गली नंबर 2, इंदौर में एन.आर.के. विलास की प्रथम मंजिल पर फ्लैट नंबर 101 के समस्त भाग एवं अंश। सुपर बिल्ड अप क्षेत्रफल 2570 वर्ग फीट।
चतुर्सीमा : पूर्व : बिल्डिंग एवं लॉबी का खुला स्थान, पश्चिम: बिल्डिंग का खुला स्थान, उत्तर: बिल्डिंग का खुला स्थान, दक्षिण: बिल्डिंग का खुला स्थान
नोट: उधारकर्ता द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर एसए (SA/1138/2023) DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करें। नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

क्रं	क्राण खाता क्रं.	अर्जी(बी)/ सह-अर्जी(बी)/ कर्तुनी निमाग(बी) / उपनमाग(बी) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना विवरण	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	कब्जे का प्रकार	दिनांक 24-05-2025 तक बकाया
2	TCHHL02 84000100 305203 & TCHHIN028 40001003 06332	श्री अंकित जाट श्री राहुल जाट	रु. 17,19,072/- (रुपये सत्रह लाख उन्तीस हज़ार बहतर रुपये मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 रु.53,819/- (रुपये तिरपन हज़ार आठ सौ उन्तीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHIN0284000100306332 रु.17,72,891/- (रुपये सत्रह लाख बहतर हज़ार आठ सौ इक्यान्वे मात्र)	Rs. 35,40,000/- (रुपये पैंतीस लाख चालीस हज़ार मात्र)	Rs. 3,54,000/- (रुपये तीन लाख चौवन हज़ार मात्र)	भौतिक	Rs.17,66,985/- (रुपये सत्रह लाख छ्ठाठ हज़ार नौ सौ चियासी मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं रु.57,232/- (रुपये साठवन हज़ार दो सौ बीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHIN0284000100306332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं रु.18,24,217/- (रुपये अठारह लाख चौबीस हज़ार दो सौ सत्रह मात्र)

अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट क्रमांक 28, सिमरोल टाउनशिप तहसील महू जिला इंदौर (म.प्र.) की अचल संपत्ति के समस्त राशि एवं अंश, क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट याग (102.23 वर्ग मीटर), चतुर्सीमा : पूर्व : रोड, पश्चिम : प्लॉट क्रमांक 11, उत्तर : प्लॉट क्रमांक 27, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 29

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निमाग वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेबी गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

आरटीआरएस / एनईएफटी, आरटीएमएस, आरटीएस के माध्यम से ईएमपी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्तें वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हों और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की बिक्री दिनांक 12-06-2025 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमपी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्राथमिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की हुणे की की तराख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई खरीदार या अन्य अचल शरीत है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड के पास जम्द हो जायेगी और चूककर्ता बंधुबंधों संपत्ति पर अपने सभी दावे छो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों को सही संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। 12. अन्तर्सी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए संपादित बोलीदाता सेवा प्रदाता, आई ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पाट बी, उमा हेरारबाबा हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी: contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@atacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया एटीएस प्रस्तुत व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर संपर्क करें। 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का एटीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैम में जमा करना आवश्यक है और वालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणता की वेबसाइट https://surli.cse/wcbmd का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर

ह/- (प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांक : 03-06-2025

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनैंस लिमिटेड